फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या –84/2020

उनवान – प्रभातीलाल बनाम जगदीश वगै.

पत्रावली आज दिनांक 20.08.2020 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चूकी है। प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी हो। बहस प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टीआई स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद जरिय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खाता संख्या नया 28 के खसरा नंबर 707/3 रकबा 0.3150 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 54 के खसरा नंबर 13 रकबा 0.0500 है0, 20 रकबा 0.4200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 50 के खसरा नंबर 1 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 14/1 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 15/1 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 16 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 17 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 18 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 19/1 रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 19/2 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 2 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 3/1 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 3/2 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 3/3 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 4/1 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 4/2 रकबा 0.13 है0 वाकै ग्राम झांई पटवार हल्का भमोरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका एवम् रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। निर्णय आज दिनांक 20.08.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner